(12)	
2. Under Secretary of Natural Resource Management Division, Department of Agriculture and Cooperation,	—Member
3. Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India	—Member

[F. No. 16-5/2013-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन (कंप्यूटर प्रोग्रामर) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, में ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण (ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ प्रणाली विश्लेषक	1* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, वेतनमान (15600—39100 रुपये) + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):–** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थानों या कानूनी संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300-34800 रुपए) + ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300-34800 रुपए) + ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् सात वर्ष की सेवा की हो; या

(11)

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों

आवश्यक :

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) की रखते हों; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी) बी.ई. या बी. टेक ।

(ख) अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्, किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रणाली विश्लेषण, एम.एस-एस.क्यू.एल. सर्वर या ओरेकल जैसे डाटा बेस का उपयोग करते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन (वेब बेस) के लिए सॉफ्टवेयर का विकास और डिजाइन तैयार करने और फ्रोंटेड प्रौद्योगिक जैसे एम. एस. नेट या जावा सर्वर पेज या एच टी एम एल या डी एच टी एम एल, जावा स्क्रिप्ट आदि में पांच वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

प्रणाली प्रशासन और नेटवर्किंग, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) और अंकीय प्रतिबिम्ब प्रसंस्करण (अ.प्र.प्र.) में दो वर्ष का अनुभव ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सिवाय नियमित आधार पर की गई सेवा को, जहां एक से अधिक पूर्व उस दशा के पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तृत तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. 16-1/2013-एन.आर.एम.-II]

प्रदीप श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 2015

G.S.R. 22 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Computer Programmer) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior System Analyst in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Senior System Analyst) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade payor pay scale.— The number of the said post, its classification and the pay band and grade payor pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior System Analyst	1* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, (Rs. 15600—39100) Grade Pay : Rs. 6600.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract)	**Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or Semi-Government or Autonomous bodies or Statutory Organisations: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a -regular basis in posts in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the : parent cadre or department; or (iii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) with Grade Pay of Rs 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(11)

(B) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(a) Master's degree in Computer Application or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute; or B.E. or B. Tech. (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognised University or Institute.

(b) Five years post qualification experience in system analysis, design and development of software for offline and online (web base) using data bases such as MS-SQL Server or Oracle deputation (including short-term contract) and Fronted Technologies like MS.Net or Java Server page or HTML or DHTML, Java Script etc. in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised Institution.

Desirable :

Two years' experience in system administration and networking, remote sensing and Geographical Information System (GIS) and Digital Image Processing (DIP).

(Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

Note:- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extended only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. 16-1/2013-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 23.—राष्ट्रपति, महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी के कार्यालय के (वर्ग 'घ' पद) भर्ती नियम, 1985 के अधिक्रमण तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व हो गयी चीजों एवं छूट गयी चीजों के सिवाय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ के भर्ती पद्धति को अधिनियमित कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, मल्टी टास्किंग स्टाफ, वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2015 कहा जाये ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड, वेतनमान एवं उनसे सम्बद्ध ग्रेड वेतन इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता इत्यादि.—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उस पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट की जायेगी ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।